

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

**विषय:-** राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद -अमरोहा पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की मूल स्वीकृत लागत रूपये 3344.19 लाख के उपरान्त परियोजना की व्यय-वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रूपये 5767.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा उसके सापेक्ष रूपये 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अधीक्षण अभियंता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-158/नागर-1/032-304/2023, दिनांक 10-05-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद -अमरोहा पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्यों की मूल स्वीकृत लागत रूपये 3344.19 लाख के उपरान्त परियोजना की पुनरीक्षित आंकलित लागत रूपये 5767.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा पुनरीक्षित किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 2423.64 लाख में से आठवीं किश्त के रूप में रूपये 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) प्रश्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के मुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (7) निष्प्रयोज्य/ होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2021 की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
- (12) कार्य की गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य का उत्तरदायित्व प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ का होगा।

- (13) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या,- 2/2023/वी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 ( रुपये पांच करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-262-X-2023-24, दिनांक- 04 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
05.10.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 147(1) /2023/ नौ-5-2023 /001-Computer No 1673856, तद् दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा, जनपद-अमरोहा।
- 9- क्रोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
- 10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से,  
05.10.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-05/10/2023

प्रेषण संख्या:- 147  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-147-2023-9-5-2023-001-CN-1673856  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 70694000	50000000 70694000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 70694000	50000000 70694000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ छः लाख चौरानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव